कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जोधपुर

क्रमांक :– मुजिशिअ/समग्र शिक्षा/जोध/शै.प्र./2026/ दिनांक :– यथाहस्ताक्षर

–:: विद्या संबल योजना विज्ञप्ति ::–

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवतापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक एफ. 17(1)शिक्षा–1/क्यू.शिक्षा/2022–00494–2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेन्स संख्या 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग जिला जोधपुर के विद्यालयों (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर) में शिक्षकों के रिक्त पदों पर **"विद्या संबल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है।** उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताएँ/शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1. विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएँ :–

क्र.स.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट :–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोडकर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

2. रिक्तियाँ :–

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जायेगा। जिन विद्यालयों में संबंधित विषय में विद्यार्थी का नामांकन शून्य है/आईएफएमएस के अनुसार वेतन व्यवस्था हो रखी है, उन विद्यालयों में पद रिक्त होने के उपरान्त भी गेस्ट फैकल्टी के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3. रिक्तियों का प्रकाशन :–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्त पदों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओं विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट https://education-rajasthan-gov-in पर किया जायेगा।

4. आवेदन प्रक्रिया :–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिगत विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के मूल दस्तावेजों से भली–भाँति मिलान एवं सत्यापन करना सुनिश्चित करें, ताकि अभ्यर्थी की पात्रता एवं प्रस्तुत अभिलेखों की प्रमाणिकता सुनिश्चित हो सके।

RajKaj Ref No.: 24287858

M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by Manju Sharma
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.29 20:45:23 IST
Reason: Approved

5. <u>वरीयता का निर्धारण :–</u>

विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्रधानाचार्य/पीईईओं द्वारा किया जायेगा। वरीयता सूची में पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोडकर किया जायेगा।

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

6. <u>परिवेदना प्रस्तुत करना :–</u>

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी।

क्र.स.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जोधपुर	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जोधपुर	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जोधपुर शहर	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंसा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

7. <u>विद्या संबल योजना के तहत मानदेय :–</u>

विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघंटा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा :–

क्र.स.	पद	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

8. <u>अन्य शर्तें :–</u>

1. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिये गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य के उपस्थित होंगे।
2. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
3. गेस्ट फैकल्टी के रूप में राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जायेगा।
4. उक्त सेवाएँ चूंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत ली गई सेवाओं के मध्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने की मांग नहीं की जा सकेगी।
5. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
6. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा किया जायेगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप से विमुक्त कर दिया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Manju Sharma
Designation : Chief District
Education Officer
Date: 2026.08.29 20:45:23 IST
Reason: Approved

9. <u>कार्यक्रम एवं समय सारणी (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)</u>

क्र.स.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	31.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	01.09.2026
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	02.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (साँय 04.00 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपत्तियाँ मांगना	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02.00 बजे तक)
6.	अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण पश्चात अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना	11.09.2026 (साँय 06.00 बजे तक)
7.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	12.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
9.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (साँय 05.00 बजे तक)
10.	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11.59 बजे तक)

नोट :– वर्तमान में नगर निकायों के चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावे।

(मंजु शर्मा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा जोधपुर

क्रमांक :– मुजिशिअ/समग्र शिक्षा/जोध/शै.प्र./2026/ दिनांक :– यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर।
5. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थार जयपुर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान बीकानेर।
8. श्रीमान संयुक्त निदेशक (स्कूल–शिक्षा) जोधपुर संभाग जोधपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला जोधपुर।
11. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान.....................................
13. निजी/रक्षित पंजिका।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Manju Sharma
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.29 20:45:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24287858

M e-Sign

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जोधपुर

ईमेल:-cdeojodhpur@yahoo.com पता :- गौशाला मैदान के पास, सरदारपुरा, जोधपुर।

क्रमांक : मुजिशिअ/समसा/जोध/विद्या संबल योजना/2026/ .... **दिनाँक : यथा हस्ताक्षर**

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा, जिला – जोधपुर (समस्त)।

विषय – माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या संबल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग – श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/गेस्ट फैकल्टी/12226/2024-25528-5729091 (राजकाज रेफरेंस नम्बर : 24275528) दिनाँक 27.08.2026 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर **"विद्या संबल योजना"** के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को **"गेस्ट फैकल्टी"** के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता हैं कि अपने क्षेत्राधिकार में (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर) प्रदत्त नियमानुसार एवं निम्न समय-सारणी अनुसार प्राध्यापक (विभिन्न विषय) के पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

कार्यक्रम एवं समय सारणी :- (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर)

क्र. स.	विवरण	दिनाँक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	31.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	01.09.2026
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	02.09.2026 से 07.09.2026
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जाँच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपत्तियाँ माँगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02:00 बजे तक)

RajKaj Ref No.: 24287710
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Manju Sharma
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.29 19:48:09 IST
Reason: Approved

6.	अभ्यर्थियों आपत्तियों के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्ध 03-03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन-सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 05:00 बजे तक)
10.	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, जोधपुर

क्रमांक : मुजिशिअ/समसा/जोध/विद्या संबल योजना/2026/ .... **दिनाँक : यथा हस्ताक्षर**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. निजी सचिव, जिला कलक्टर, जोधपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष विद्या संबल योजना, जिला परिषद, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक, जोधपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा पीईईओ से समन्वय स्थापित करते हुए रिक्तियाँ तथा आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं जाँच का प्रबोधन करेंगे तथा नियमित रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।
6. समस्त पीईईओ, जिला – जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि पीईईओ विद्यालय स्तरीय समिति का गठन कर उक्त योजना का प्रचार-प्रसार करते हुए रिक्तियों को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही संपादित करावे।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Manju Sharma
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.29 19:48:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24287710
M e-Sign